



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032021-226285  
CG-MH-E-31032021-226285

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 132]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल)

(संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में,-

I. विनियम 2 में,

- i. उप-विनियम (1) में, खंड (कघ) में, शब्द, चिह्न और अंक "प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012", शब्दों, चिह्नों और अंक "प्रतिभूति संविदा

(विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ii. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) “हामीदार” (अंडरराइटर) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) की हामीदारी (अंडरराइटिंग) के कारोबार में लगा होता है;

(ज) “हामीदारी” से ऐसा करार (एग्रीमेंट) अभिप्रेत है, जो उतनी प्रतिभूतियों [जिनका निर्गम (इश्यू) या विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) लाया गया हो] में पैसा लगाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करने) या में पैसा लगवाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करवाने) के लिए किया गया हो, जितनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा न लगा हो;

(ट) “निर्गम” (इश्यू) से किसी निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) द्वारा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, यथास्थिति, उसकी या उनकी ओर से जनता, अथवा ऐसे निगमित निकाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारकों के लिए, मर्चेन्ट बैंकार के माध्यम से, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को बेचने या खरीदने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव अभिप्रेत है;”

iii. उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956”, शब्दों, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 2013” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

II. विनियम 3 में,

(i) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(4) प्रत्येक ऐसा स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) हामीदार के रूप में कार्य कर सकेगा, जिसके पास मान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो।”

III. विनियम 9 में,

(i) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“ज. हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल, उस निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट) के साथ एक मान्य करार (एग्रीमेंट) करेगा जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा हो, और वह हामीदार के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों आदि के संबंध में अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) का पालन करेगा।

झ. प्रत्येक स्टॉक दलाल हामीदार का कार्य केवल अपनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) / अपने पैसों (अपनी निधि / अपने फंड) में से ही करेगा, जैसा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

IV. विनियम 17 में,

(i) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(4)(1) किन्हीं अन्य कानूनी प्रावधानों के अध्यक्षीन, हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल निम्नलिखित लेखा-बहियाँ और दस्तावेज रखेगा, अर्थात् :-

(क) यदि हामीदार निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, तो -

- (i) प्रत्येक लेखा अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) तथा लाभ और हानि लेखे (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) की प्रति;
- (ii) उस अवधि के लेखों (अकाउंट्स) के संबंध में लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट की प्रति;

(ख) यदि हामीदार निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) न हो, तो -

- (i) उन्हें प्राप्त हुई और उनके द्वारा खर्च की गई समस्त धनराशि से संबंधित रिकॉर्ड तथा उन मामलों से संबंधित रिकॉर्ड जिनके संबंध में धनराशि प्राप्त हुई और उसे खर्च किया गया; और
- (ii) उनकी आस्तियाँ (असेट्स) और देयताएँ (लायबिलिटीज़) ।

(2) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल निम्नलिखित रिकॉर्ड भी रखेगा -

- (क) सभी करारों (एग्रीमेंट) के ब्यौरों का
- (ख) प्रत्येक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की कुल संख्या का [करार के अनुसार जिनमें पैसा लगाया गया (अभिदान / सब्सक्रिप्शन किया गया)]
- (ग) ऐसे अन्य रिकॉर्ड, जो बोर्ड हामीदारी (अंडरराइटिंग) हेतु रखने को कहे ।

**(5) ग्राहकों के साथ करार (एग्रीमेंट)**

हामीदार (अंडरराइटर) के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल उस प्रत्येक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के साथ करार करेगा, जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा हो, और उस करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख होगा, अर्थात्: —

- (क) वह अवधि, जब तक करार लागू रहेगा;
- (ख) हामीदार और ग्राहक के क्या-क्या कर्तव्य होंगे और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होंगी;
- (ग) कितनी रकम तक की हामीदारी की जाएगी;
- (घ) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसे निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा या की ओर से सूचित किए जाने के बाद हामीदार को निर्गम (इश्यू) में पैसा लगाना होगा (में अभिदान / को सब्सक्राइब करना होगा);
- (ङ) हामीदार को अदा किए जाने वाले कमीशन या दलाली की रकम;
- (च) हामीदारी संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए हामीदार द्वारा किए गए इंतजामों (अरेजमेंट्स), यदि कोई हों, के ब्यौरे ।

**(6) हामीदार के तौर पर स्टॉक दलाल की सामान्य जिम्मेदारियाँ**

- (क) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल, हामीदारी करने के लिए किए गए करार (एग्रीमेंट) के तहत अदा किए जाने वाले कमीशन या दलाली के सिवाय, निर्गम (इश्यू) की हामीदारी से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई और फायदा नहीं लेगा ।

- (ख) सभी करारों के तहत कुल मिलाकर की जाने वाली हामीदारी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के बीस गुना से अधिक नहीं होगी।
- (ग) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक स्टॉक दलाल, करार (एग्रीमेंट) के अनुसार निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाने (में अभिदान / को सब्सक्राइब करने) की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसे निगमित निकाय की ओर से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर ऐसी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएगा (में अभिदान / को सब्सक्राइब करेगा)।”

V. विनियम 27 में,

- (i) शीर्षक में, शब्द “जांच कार्यवाही संबंधी विनियमों के अधीन”, शब्दों, चिहनों और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के तहत” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (ii) खंड (v) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956”, शब्दों, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 2013” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (iii) खंड (vi) में, शब्द, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 1956”, शब्दों, चिह्न और अंक “कंपनी अधिनियम, 2013” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

VI. अनुसूची-II में, खंड-घ के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

**“ड – हामीदार के तौर पर कर्तव्य**

ऊपर जिन कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, उनके अलावा स्टॉक दलाल हामीदार के रूप में कार्य करते समय निम्नलिखित का भी पालन करेगा:

1. स्टॉक दलाल अपने ग्राहकों के हितों के संरक्षण हेतु सभी प्रयास करेगा।
2. स्टॉक दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके कर्मचारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) लाने वाले निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) [जिसका उल्लेख यहाँ आगे अनुसूची में “निर्गमकर्ता” (इश्युअर) के रूप में किया गया है] के साथ किए जाने वाले अपने समस्त व्यापार (डीलिंग) करते समय नैतिकता बरतें।
3. स्टॉक दलाल, न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में, ऐसा कोई बयान देगा, जिससे –
  - क. उन सेवाओं के बारे में गलत जानकारी मिलती हो, जो हामीदार अपने ग्राहक को देने में समर्थ हो, या जो हामीदार ने किसी दूसरी निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी को प्रदान की हो;
  - ख. उसकी हामीदारी संबंधी प्रतिबद्धता के बारे में गलत जानकारी मिलती हो।
4. स्टॉक दलाल हित-विरोध से बचेगा और अपने हित का पर्याप्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करेगा।
5. स्टॉक दलाल अपने कारोबार के संचालन के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली हित-विरोध की किसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था निर्धारित करेगा या जहाँ कोई हित-विरोध उत्पन्न हो जाए, वहाँ वह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निष्पक्ष रूप से उपयुक्त कदम उठाएगा।

6. स्टॉक दलाल ग्राहक को इस बारे में पर्याप्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करेगा कि हामीदार के रूप में कार्य करते समय कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे कर्तव्यों और हितों के बीच विरोध हो सकता है, जिससे उसे निष्पक्षता से सेवाएँ प्रदान करने में बाधा आ सकती हो।
7. स्टॉक दलाल, बोर्ड को और निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी के निदेशक मंडल को प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए बिना, दूसरे निर्गमकर्ता (इश्युअर), प्रेस या किसी पक्षकार (पार्टी) को अपनी निर्गमकर्ता कंपनी के बारे में ऐसी कोई गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो उसे पता चले, और किसी निर्गमकर्ता कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यौहार (डील) नहीं करेगा।
8. स्टॉक दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में हुए ऐसे किसी बदलाव / बोर्ड द्वारा की गई ऐसी किसी शास्तिक (दांडिक) कार्रवाई या वित्तीय स्थिति (फाइनेंशियल्स) में हुए ऐसे किसी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी ग्राहकों को तुरंत दी जाए, जिससे ग्राहकों / निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, और यदि कोई कार्य आदि करना बाकी हो तो उसे प्रभावित ग्राहकों / निवेशकों के अनुदेशों के अनुसार किसी दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सौंप दिया जाए।
9. (क) स्टॉक दलाल या उसका कोई कर्मचारी किसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के बारे में सार्वजनिक रूप से पहुँचयोग्य मीडिया [फिर चाहे वह वास्तविक समय (रियल टाइम) वाला हो या न हो] में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई निवेश संबंधी सलाह तब तक नहीं देगा, जब तक कि ऐसी सलाह देते समय उसके हित (जिसके अंतर्गत उस प्रतिभूति में उसकी लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन शामिल है) का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) न कर दिया जाए।  
(ख) यदि स्टॉक दलाल का कोई कर्मचारी ऐसी सलाह दे रहा हो, तो स्टॉक दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि वह ऐसी सलाह देते समय अपने हित, अपने परिवार के आश्रित सदस्यों और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) के हित (जिसके अंतर्गत उस प्रतिभूति में उनकी लांग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन शामिल है) का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करे।
10. स्टॉक दलाल या उसके निदेशकों, भागीदारों (पार्टनर्स) या प्रबंधक में से कोई, जिसके हाथों में पूरे कारोबार का या अधिकांश कारोबार का प्रबंधन हो, न तो अपनी ओर से और न ही अपने सहयोगियों (सहयुक्तों / असोसिएट्स) या परिवार के सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) में लिप्त होगा।
11. हामीदार के रूप में कार्य करने वाला स्टॉक दलाल ऐसी किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा, जिससे हामीदार के रूप में कार्य करने वाली दूसरी एंटीटियों के हित को नुकसान हो सकता हो, या फिर कोई कार्य आदि अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य आदि करते समय वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो ऐसे अन्य हामीदारों के लिए अहितकर हो।
12. हामीदार –  
(क) मिथ्या बाजार के सृजन;  
(ख) कीमतों में हेराफेरी आदि; या

(ग) किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) या सूचीबद्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के संबंध में किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) को अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी देने,

में पक्षकार (पार्टी) या सहायक नहीं होगा।”

VII. अनुसूची-VI में,

(i) खंड 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(6) प्रत्येक स्टॉक दलाल हामीदार का कार्य केवल अपनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) / अपने पैसों (अपनी निधि / अपने फंड) में से ही करेगा, जैसा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./568/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
  - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा 28 नवम्बर 1995
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा 5 जनवरी 1998
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा 21 जनवरी 1998
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा 16 दिसम्बर 1998
  - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा 6 जुलाई 1999
  - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा 14 मार्च 2000
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा 28 मार्च 2000
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा 30 अगस्त 2000
  - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा 29 मई 2001

- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा 15 नवम्बर 2001
- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा 20 फरवरी 2002
- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा 27 सितम्बर 2002
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा 23 सितम्बर 2003
- (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो / विधि / 20795 / 2003, द्वारा 20 नवम्बर 2003
- (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा 10 मार्च 2004
- (त) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा 1 अगस्त 2006
- (थ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा 7 सितम्बर 2006
- (द) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा 25 सितम्बर 2006
- (ध) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई 2008
- (न) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा 11 अगस्त 2008
- (प) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा 29 जून 2009
- (फ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा 19 नवम्बर 2009
- (ब) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा 13 अप्रैल 2010
- (भ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा 6 अप्रैल 2011

- (म) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा 19 अप्रैल 2011
- (य) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा 17 अगस्त 2011
- (यक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा 5 अप्रैल 2013
- (यख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा 27 सितम्बर 2013
- (यग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा 23 मई 2014
- (यघ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671, द्वारा 8 अक्तूबर 2014
- (यङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएल/2015-16/017, द्वारा 8 सितम्बर 2015
- (यच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा 6 मार्च, 2017 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित]
- (यछ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/005, द्वारा 13 जुलाई 2017
- (यज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/03, द्वारा 13 मार्च 2018
- (यझ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/27, द्वारा 30 जुलाई, 2018
- (यञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा 17 अप्रैल, 2020
- (यट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा 8 मई, 2020

को संशोधित हुए थे।



**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th March, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/14.**—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, —

I. In regulation 2,

i. In sub-regulation (1), in clause (ad) the words “Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012” shall be replaced by “Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018”

ii. In sub-regulation (1) after Clause (h) the following shall be inserted namely-

“(i) “*Underwriter*” means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate.

(j) “*Underwriting*” means “an agreement to subscribe to or procure subscription for securities, issued or offered for sale, remaining unsubscribed.”

(k) “*issue*” means an offer of sale or purchase of securities by any body corporate, or by any other person or group of persons on its or his or their behalf, as the case may be, to or from the public, or the holders of securities of such body corporate or person or group of persons through a merchant banker;”

iii. in sub-regulation (2) the words “Companies Act, 1956” shall be replaced by “Companies Act, 2013”

II. In regulation 3,

(i) after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely, —

“(4) Every stock broker holding a valid certificate of registration shall be entitled to act as an underwriter”

III. In regulation 9,

(i) after Clause (g), the following shall be inserted, namely, -

“h. Every stock broker who act as an underwriter shall enter into a valid agreement with the body corporate on whose behalf it is acting as underwriter and shall abide by the regulations made under the Act in respect of the activities carried on by it as underwriter.

i. Every Stock Broker shall be entitled to act as an underwriter only out of its own net worth/funds as may be prescribed from time to time.”

IV. In regulation 17,

(i) after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely, -

“(4) (1) Subject to the provisions of any other law, every Stock Broker acting as an underwriter shall keep and maintain the following books of account and documents, namely: —

**(a) In relation to an underwriter being a body corporate—**

(i) a copy of the balance sheet and profit and loss account as at the end of each accounting period;

(ii) a copy of the auditor's report on the accounts for that period;

**(b) In relation to an underwriter not being a body corporate—**

- (i) records in respect of all sums of money received and expended by them and the matters in respect of which the receipt and expenditure take place; and  
 (ii) their assets and liabilities.

(2) Every Stock Broker acting as an underwriter shall also maintain the following records with respect to—

- a) details of all agreements  
 b) total amount of securities of each body corporate subscribed to in pursuance of an agreement  
 c) such other records as may be specified by the Board for underwriting.

**(5) Agreement with clients**

Every stock broker acting as an underwriter shall enter into an agreement with each body corporate on whose behalf it is acting as underwriter and the said agreement shall, amongst other things, provide for the following, namely: —

- a) the period for which the agreement shall be in force;  
 b) the allocation of duties and responsibilities between the underwriter and the client  
 c) the amount of underwriting obligations;  
 d) the period, within which the underwriter has to subscribe to the issue after being intimated by or on behalf of such body corporate;  
 e) the amount of commission or brokerage payable to the underwriter;  
 f) details of arrangements, if any, made by the underwriter for fulfilling the underwriting obligations.

**(6) General responsibilities of a Stock Broker as an underwriter**

- a) Every Stock Broker acting as an underwriter shall not derive any direct or indirect benefit from underwriting the issue other than the commission or brokerage payable under an agreement for underwriting.  
 b) The total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times of the net worth.  
 c) Every Stock Broker acting as an underwriter, in the event of being called upon to subscribe for securities of a body corporate pursuant to an agreement shall subscribe to such securities within 45 days of the receipt of such intimation from such body corporate.”

**V. In Regulation 27,**

- (i) In the title, the words, “Enquiry Proceeding Regulations” shall be replaced by “Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008”  
 (ii) In Clause (v), the words “Companies Act, 1956” shall be replaced by “Companies Act, 2013”  
 (iii) In Clause (vi), the words “Companies Act, 1956” shall be replaced by “Companies Act, 2013”

**VI. In Schedule II, after clause D, the following shall be inserted, namely, -**

**“E – Duty as an underwriter**

In addition to duties specified above, the Stock Broker while acting as an Underwriter shall comply with following:

1. A Stock Broker shall make all efforts to protect the interests of its clients.

2. A Stock Broker shall ensure that it and its personnel will act in an ethical manner in all its dealings with a body corporate making an issue of securities (hereinafter referred to in the Schedule as “the issuer”).
3. A Stock Broker shall not make any statement, either oral or written, which would misrepresent—
  - a. the services that the underwriter is capable of performing for its client, or has rendered to any other issuer company;
  - b. his underwriting commitment.
4. A Stock Broker shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest.
5. A Stock Broker shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.
6. A Stock Broker shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as underwriter which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.
7. A Stock Broker shall not divulge to other issuer, press or any party any confidential information about its issuer company, which has come to its knowledge and deal in securities of any issuer company without making disclosure to the Board and also to the Board of directors of the issuer company.
8. A Stock Broker shall ensure that any change in registration status/any penal action taken by board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients/investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients/investors.
9. (a) A Stock Broker or any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of its interest including its long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
 

(b) In case, an employee of a Stock Broker is rendering such advice, the Stock Broker shall ensure that he shall disclose its interest, the interest of dependent family members and that of the employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.
10. A Stock Broker or any of its directors, partners or manager having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, shall not either through its account or their respective accounts or through their associates or family members, relatives or friends indulge in any insider trading.
11. A Stock Broker acting as an underwriter shall not indulge in any unfair competition, which is likely to be harmful to the interest of other entities acting as underwriters carrying on the business of underwriting or likely to place such other underwriters in a dis-advantageous position in relation to the underwriter while competing for, or carrying out any assignment.
12. An underwriter shall not be party to or instrumental for—
  - (a) creation of false market;
  - (b) price rigging or manipulation; or
  - (c) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed or proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.”

VII. In Schedule VI,

- (i) after clause 5, the following shall be inserted, namely, -

“(6) Every Stock Broker shall be entitled to act as an underwriter only out of its own net worth/funds as may be prescribed from time to time.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./568/2020-21]

**Footnotes:**

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E)

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:

(a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).

(b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).

(c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).

(d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).

(e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).

(f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).

(g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).

(h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).

(i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

(j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).

(k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 220 (E).

(l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).

(m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).

(n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.

(o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

(p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).

(q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).

(r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).

(s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.

(t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/GN/2008/20/134766.

(u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009- 10/11/167759.

(v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/GN/2009-10/21/183853.

(w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.

- (x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD – NRO/ GN/ 2011 – 12/01/11486.
- (y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.
- (z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011- 12/19/26273
- (za) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129
- (zb) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LADNRO/GN/2013-14/25/24775
- (zc) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089
- (zd) October 8, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671
- (ze) September 8, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2015 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2015- 16/017
- (zf) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/038
- (zg) July 13, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2017- 18/005
- (zh) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03.
- (zi) July 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/27
- (zj) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10
- (zk) May 08, 2020 the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011